International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197
Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 1071-1072

भारत में आपदा प्रबंधन

अंकित सिंह
शोध छात्र, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
भारत की गणना उन राष्ट्रों में होती है जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। असाधारण उपमहाद्वीपीय आयाम, भौगोलिक स्थिति और मानसून का स्वरूप, भारत को विश्व के सबसे अधिक खतरा–प्रवण देशों की पंक्ति में ला खड़ा करते हैं। यह हिमालय क्षेत्र में होने वाली भूस्खलनी हिमघावी के अलावा, सूखे, बाढ़, चक्रवातों और भूकम्पीय घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक वर्ष इन परिघटनाओं से हजारों जाने जाती हैं और कई लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। सभी आपदाओं के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिणाम होते हैं हालॉकि प्रत्येक पर इन परिणामों की मात्रा में अन्तर होता है। काफी समय से भारत में आपदा प्रबंधन मुख्य समस्या रही है परन्तु नीति–मुद्दे के रूप में इसे दशक (1990–2000) में महत्व मिला। इस दशक को 1989 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा अल्पीकरण दशक घोषित किया गया था। यह अनुभव किया गया कि आपदा प्रबंधन सतत् राष्ट्रीय आवश्यकता है और प्राकृतिक खतरों और आर्थिक विकास पर उनके प्रभावों द्वारा उत्पन्न, राष्ट्रीय पर्यावरण पर बढ़ते हुए खतरों के कारण आज इसका विशेष महत्व हैं।

मूल शब्दः आपदा, भौगोलिक स्थिति, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प

प्रस्तावना

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारत में उच्च जोखिम वाले, आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करना।
2. भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसके अन्तर्गत सरकारी प्रपत्रों, शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों का अध्ययन किया गया है, मानचित्र एवं रेखाचित्र की भी सहायता ली गयी है।

भारत में उच्च जोखिम वाले, आपदा से प्रभावित क्षेत्र

भारत सरकार ने सन् 1997 में राष्ट्रीय सुभेधता एटलस का प्रकाशन किया जिसमें भारत के प्रकोप एवं आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया था। भारत के 'गृह मंत्रालय' तथा 'संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम' ने मिलकर देश के 125 जिलों के 'सर्वाधिक प्रकोप–प्रभावित क्षेत्रों' की सूची तैयार की है। इस सूची में देश के चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई) तथा 8 प्रान्तों की राजधानी नगरों को भी सम्मिलित किया गया है–

भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचनाः

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो और जिसकी प्रकृति या परिमाण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रान्तीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा विभिन्न समितियों, कोषों एवं बलों की स्थापना एवं संगठन के लिये पार्लियामेंट ने 'आपदा प्रबंधन विधेयक' को 2005 में पारित कर दिया। इस तरह अब आपदा प्रबंधन अधिनियम की संस्थागत एवं संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैः–

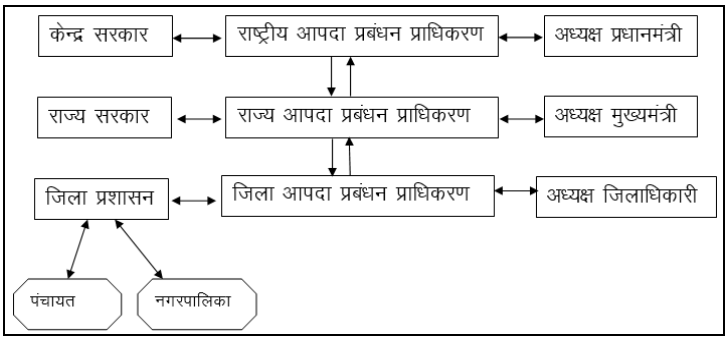

आकृति 1

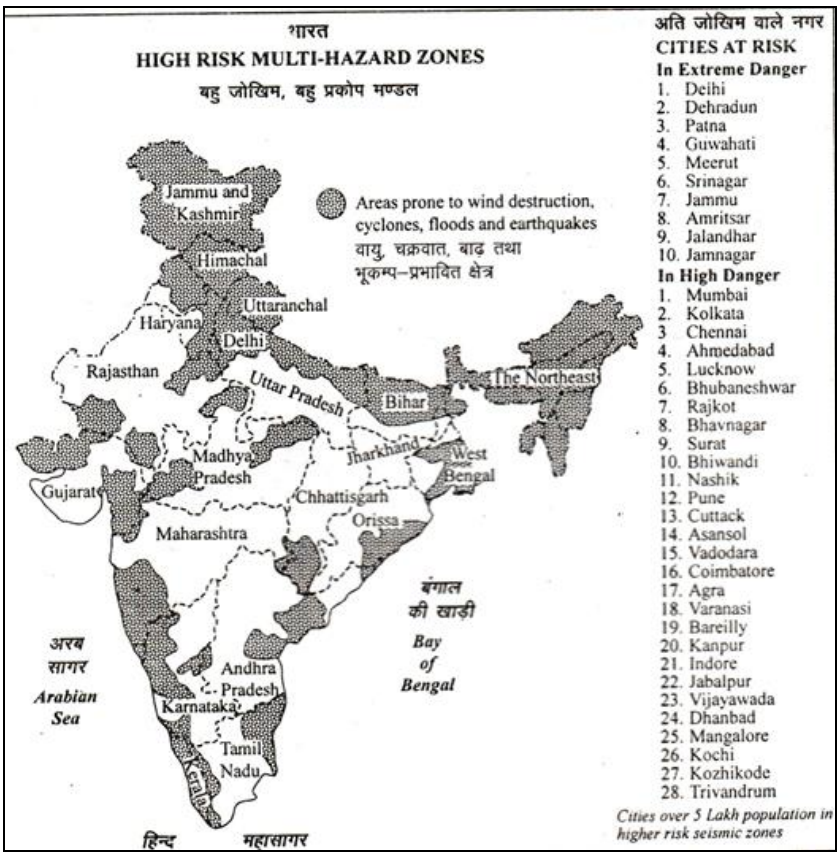

आकृति 2: (भारत के उच्च जोखिम वाले बहु–प्रकोप मण्डल स्रोत : राजेश रामचन्द्रन, आउटलुक 2005)

भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना

आधुनिक आपदा प्रबंधन पद्धति जिला स्तर पर या नीचे आपदा प्रबंधन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण को स्वीकारती है, क्योंकि यह शासन व्यवस्था का आखिरी छोर है। स्थानीय सरकारों तक पहुँचने के प्रयास किए गए हैं ताकि उन्हें स्थानीय क्षमता निर्माण करने, ज्ञान और संसाधन प्राप्त करने तथा उन्हें निर्णय करने के अधिकार देने में सहायता मिल सके।

आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियाँ करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की तीन अवस्थाएँ है :

(क) आपदा से पहले

आपदा के बारे में ऑकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावी क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावी क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियाँ रखना और बचाव का उपाय करना।

(ख) आपदा के समय

युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे– आपदा ग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति।

(ग) आपदा के पश्चात

प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास। भविष्य में क्षमता–निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना।

भारत जैसे देश में जहाँ दो–तिहाई क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद्य है, इन उपायों का विशेष महत्व है। 'आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005' और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा राहत बल, तटीय राहत बल, आपदा प्रबंधन तंत्र की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाये गये सकारात्मक कदम का उदाहरण है, जो निश्चय ही आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

सन्दर्भ

1. भारतसरकार, गृहमंत्रालय 2002 : डिजास्टर मैनेजमेंट : दि डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव एन एक्सट्रक्ट ऑफ दि चेप्टर इन दि टेन्थ फाइव इयर प्लान डाक्यूमेंट (2002–2007), नई दिल्ली।
2. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2004 (UNDP) : रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क : ए चैलेंज फार डेवलपमेंट, न्यूयार्क।
3. सिंह, सविन्द्र 2010 : पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
4. एन.सी.ई.आर.टी. 2006 : भारत भौतिक पर्यावरण, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार, गृहमंत्रालय, अगस्त 2004 : डिजास्टर मैनेजमेंट इन इण्डिया : ए स्टेट्स रिपोर्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग, गृहमंत्रालय।
6. कार्टर, डब्लू, निक (1991) : डिजास्टर मैनेजमेंट : ए डिजास्टर मैनेजर्स हैण्ड बुक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला।
7. रिपोर्ट ऑफ दी हाई पावर्ड कमेटी फार प्रीपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स 2001, भारत सरकार, नई दिल्ली।